न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(सी0डि0) बॉदा।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–79/11/19

सीएनआर–यूपीबीडी050022972019 रजि.109/19

विजयबहादुर बनाम नवलकिशोर
धारा–156(3)दं0प्र0सं0
थाना–कालींजर, जनपद–बॉदा

20.07.2019

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 प्रस्तुत हुई, जिसपर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी विजयबहादुर के द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 विपक्षीगण नवलकिशोर पुत्र राजाभइया, राजाभइया पुत्र श्यामलाल, श्रीमती शकुन्तला पत्नी राजाभइया, श्यामलाल पुत्र बैजनाथ,ऊषा पुत्री राजाभइया एंव रामकिशोर पुत्र सिपाहीलाल के विरूद्ध इन कथनों के साथ संस्थित किया है कि प्रार्थी की पुत्री ममता की शादी दिनांक 30.4.2015 को विपक्षी सं.1 नवलकिशोर के साथ हुई और बिदा होकर विपक्षीगण के घर गई। विपक्षीगण उससे एक मोटरसाइकिल एंव 50 हजार रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे एंव उसे प्रताड़ित करने लगे। ममता ने अपने मायके में बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे मारकर दूसरी शादी कर लेने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थी ममता को समझाता रहा एंव रिश्तेदारों के मध्य पंचायत कराकर ममता को ससुराल भेज दिया। दिनांक–14.8.17 को विपक्षी नवलकिशोर ममता को प्रार्थी के घर से ले गया और दिनांक 15.8.17 को सुबह 5 बजे नवलकिशोर ने प्रार्थी की पत्नी शिवदुलारी को जरिये मोबाइल फोन सूचना दी कि ममता ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब प्रार्थी व उसकी पत्नी व लड़का व परिवार के सदस्य ममता के ससुराल पहुंचे तो देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ममता की दोनों आंखे फूटी थीं और मुंह के दो दांत टूटे थे और नाक की नली कटी थी तथा शरीर में तमाम चोंटें दिख रहीं थी। ममता का पोस्टमार्टम दिनांक 16.8.2017 को जिला सदर अस्पताल बांदा में हुआ। प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी व उसकी पत्नीव लड़के से थाना कालिंजर पुलिस ने रिपोर्ट लिखाने के नाम पर सादे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये हैं एंव विपक्षीगण ने धमकी दी कि यदि थाने में रिपोर्ट किया तो तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। प्रार्थी ने दिनांक 27.12.2018 को पुलिस अधीक्षक बांदा एंव अन्य उच्चाधिकारियों को

सूचना दी लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।

थाने की आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण में थाना स्थानीय पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है।

प्रार्थी की ओर से सूची के माध्यम से कार्बन प्रति प्रार्थनापत्र, रजिस्ट्री रसीदें एंव मृतका श्रीमती ममता की शवविच्छेदन आख्या दाखिल की गई है।

प्रार्थनापत्र के तथ्य प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध गठित करते हैं जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी विजयबहादुर का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष कालींजर को आदेशित किया जाता है कि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें।

(ऋषिकुमार)
ए.सी.जे.एम./सिविल जज(सी.डि.)बांदा।